निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 519) पटना, सोमवार, 4 जून 2018

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
1 जून 2018

सं0 बी0एस0[3]–100104/2013–874—सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1860 का अधिनियम 21) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, यथाः –

बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018

भाग I- सामान्य

1. संक्षिप्त नाम (विस्तार और आरम्भ): –
   (i) यह नियमावली "बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018" कहलाएगी।
   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।
2. परिभाषायें: – इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है ''सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860;
   (ii) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
   (iii) ''निबंधन महानिरीक्षक'' से अभिप्रेत है भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबंधन के महानिरीक्षक;
   (iv) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र;
   (v) ''बाईस्कोर'' से अभिप्रेत है निबंधन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए बिहार सोसाइटी;
   (vi) ''डाईस्कोर'' से अभिप्रेत है निबंधन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए जिला सोसाइटी;
   (vii) ''ऑनलाईन प्रोफार्मा'' से अभिप्रेत है प्रपत्र 'क' में यथा उपदर्शित ऑनलाईन प्रोफार्मा;

भाग II –रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

3. **सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

(i) धारा 3 के अधीन सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन आवश्यक रूप से निबंधन महानिरीक्षक द्वारा अनुरक्षित सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरा जाएगा। निबंधन महानिरीक्षक ऑनलाइन आवेदन के प्रोफार्मा का निर्णय करने के लिए सक्षम होगा।

(ii) डाक द्वारा भेजा गया अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा ई–मेल से दिया गया कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायगा।

(iii) ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदनों के लिए ऑनलाइन प्रोफार्मा में दी गई सभी प्रविष्टियों को भरना आनिवार्य होगा।

4. ऑनलाइन भरे जानेवाले हरेक आवेदन में, अधिनियम की धारा 2 में निर्दिष्ट संगम ज्ञापन की एक प्रति सोसाइटी के नियम और विनियम की एक प्रति, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आम सभा की बैठक में पारित संकल्प की कार्यवाही की एक प्रति तथा ऐसे अन्य दस्तावेज जो ऑनलाइन प्रोफार्मा में निबंधन महानिरीक्षक द्वारा नियत किए जायें, सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

5. सोसाइटी के संगम ज्ञापन में निम्नलिखित समाविष्ट होगें:–

(क) सोसाइटी का नाम,

(ख) इसके प्रधान कार्यालय का स्थल,

(ग) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र,

(घ) सोसाइटी स्थापित करने के उद्देश्य,

(ड़) शासी परिषद् और/अथवा कार्यकारिणी समिति के वैसे सदस्यों, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्या शामिल हो, जिन्हें सोसाइटी की नियमावली द्वारा प्रबंधन कार्य और नियंत्रण सौंपे गये हों, के नाम, पता, और पेशा और स्वहस्ताक्षरित फोटो; तथा,

(च) संगम ज्ञापन पर अपने नाम हस्ताक्षरित करने वाले सात अथवा उससे अधिक व्यक्तियों, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्या अवश्य शामिल हो के नाम, पता, स्वहस्ताक्षरित फोटो और पूर्ण हस्ताक्षर तथा अभिदाताओं के हस्ताक्षर, राज्य सरकार के किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से साक्षित और अनुप्रमाणित किए जायेंगे।

6. सोसाइटी के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित फीस लागू होंगे: –

(क)	बिहार एवं बिहार के बाहर क्रियाशील सोसाइटी	–	रू. 25,000/–
(ख)	बिहार के अंदर क्रियाशील सोसाइटी के लिए	–	रू. 15,000/–
(ग)	संगम ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम में किसी संशोधन के लिए	–	रू. 15,000/–
(घ)	किसी दस्तावेज की किसी प्रमाणित प्रति के लिए	–	रू. 500/–

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर, ऊपर उल्लिखित फीस में परिवर्त्तन कर सकेगी अथवा छूट दे सकेगी।

7. ऑनलाइन आवेदन आवेदक द्वारा भुगतान की तारीख को भरा गया समझा जाएगा, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा भुगतान की सम्पुष्टि रसीद के सृजन के अध्यधीन होगा।

भाग III –दस्तावेजों की जाँच एवं निबंधन

8. निबंधन महानिरीक्षक को आवेदन सफलतापूर्वक भरे जाने की सम्पुष्टि के प्राप्ति पर, निबंधन महानिरीक्षक उन ऑनलाईन प्रपत्र में सम्मिलित दस्तावेजों का जाँच करेंगे अथवा करायेंगे और यदि वे दिए जाने वाले अपेक्षित विवरणी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाये जाये अथवा अधिनियम या नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाये जाये तो त्रुटि के निराकरण हेतु आवेदक को वापस कर दिया जायेगा, और तब तक दस्तावेजों को निबंधित नहीं किया जायेगा जब तक त्रुटियों का सुधार न हो।

9. यदि निबंधन महानिरीक्षक को समाधान हो जाय तो अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगें कि सोसाइटी अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) है। ऐसा प्रमाण–पत्र प्रपत्र 'ख' में निर्गत किया जाएगा।

भाग IV –सोसाइटी का दायित्व

10. (i) इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हरेक वित्तीय वर्ष के अंत में निबंधन महानिरीक्षक द्वारा इस प्रकार विकसित ऑनलाइन तंत्र के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करेगी। वार्षिक प्रतिवेदन में सोसाइटी के क्रियाकलापों के ब्यौरे समाविष्ट होंगे। इसमें चार्टरित लेखाकार (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी सम्मिलित होगा।

(ii) सोसाइटी, निबंधन महानिरीक्षक को हरेक वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी अंशदान, की प्राप्ति और उपयोगिता से सम्बंधित सूचना भी (यदि कोई हो) भेजेगी।

11. हरेक सोसाइटी, हरेक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रपत्र 'ग' के अनुसार सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारियों के ब्यौरे भी प्रस्तुत करेगी।

12. 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और प्रपत्र 'ग' उस वर्ष 31 मई से पूर्व सोसाइटी द्वारा ऑनलाइन सिस्टम में अवश्य डाल दिया जायगा।

13. यदि सोसाइटी, निबंधन महानिरीक्षक के समाधान होने तक ब्यौरे को डालने में असफल रहती है तो निबंधन महानिरीक्षक ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करने अथवा ब्यौरे को अपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माना उद्गृहित करने हेतु सक्षम होगा जो कम से कम रू. 5000/– होगा और जिसे बढ़ाकर रू. 10,000/– तक किया जा सकेगा।

भाग V –किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण

14. निबंधन महानिरीक्षक निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा :–

(क) वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने;
(ख) नियम 13 के अधीन यथा प्रस्तावित शास्ति का भुगतान नहीं करने;
(ग) सोसाइटी की ओर से किसी कदाचार, जिसके लिए निबंधन महानिरीक्षक द्वारा जाँच की जा रही हो अथवा करायी जा रही हो;
(घ) गैर क्रियाकलाप अथवा अस्तित्वहीनता के लिए प्रमाणित अभिलेख;
(ड़) निबंधन महानिरीक्षक के समाधान होने पर किसी अन्य कारण से;

15. निबंधन महानिरीक्षक, अपने विवेक से, किसी विषय की बाबत ऐसी जाँच अथवा अनुसंधान संस्थित कर सकेगा जो, उसकी राय में, सोसाइटी के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक हो और इसमें शामिल है जब यह शंका हो कि सोसाइटी अपने को ऐसे कार्यों में लगाये हुए है जो सोसाइटी के उद्देश्यों के विरोधी है अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कार्यालय बिहार राज्य में नहीं रह गया है। रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से माँगा गया कोई मूल दस्तावेज अथवा अन्य कागजात निबंधन महानिरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष, सोसाइटी के कार्यों की परीक्षण करने के लिए अथवा किसी सोसाइटी के विरूद्ध प्राप्त किसी शिकायत की जाँच करने के लिए, उसे सशक्त बनाने हेतु प्रस्तुत किया जायगा।

परन्तु रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के पूर्व, निबंधन महानिरीक्षक इस विषय पर सोसाइटी को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देगा।

16. यदि निबंधन महानिरीक्षक का समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया किसी सोसाइटी के विरूद्ध मामला बनता है तो वह कारण बताओं नोटिस देकर सोसाइटी से पूछेगा कि नोटिस दिए जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर यह बताएं कि क्यों नहीं सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। कारण बताओ पर विचार करने के पश्चात् तथा निबंधन महानिरीक्षक को यह समाधान हो जाय कि आरोप प्रमाणित है, तो लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा–23 के अधीन सोसाइटी के निबंधन को रद्द कर देगा।

भाग VI –दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ

17. (i) कोई व्यक्ति नियम 6 में यथाउल्लिखित फीस का भुगतान कर किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से सम्बंधित किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो वह विभाग के प्राधिकृत वेबसाइट से सम्बंधित दस्तावेज की वेब प्रति डाउनलोड कर सकता है और उस पर प्रति दस्तावेज 500/–पाँच सौ रूपये गैर न्यायिक स्टाम्प संलग्न कर प्रस्तुत कर सकता है।

भाग VII –सोसाइटियों से सम्बंधित विवाद

18. यदि दो विरोधी शासी और/अथवा कार्यकारी निकायों के बीच सोसाइटी का वैध प्रबंध निकाय हाने के लिए कोई विवाद उत्पन्न हो तो निबंधन महानिरीक्षकः –

(i) जिला मजिस्ट्रेट को स्वयं अथवा अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा जाँच करने और प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए कह सकेगा; और/अथवा,

(ii) सभी विरोधी निकायों को आमंत्रित कर सकेगा और व्यक्तिगत रूप से मामले को सुन सकेगा; और/अथवा,

(iii) निबंधन महानिरीक्षक द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में, शासी और/अथवा कार्यकारी निकाय का पुनः निर्वाचन करवा सकेगा।

ऊपर उल्लिखित कदमों के निष्कर्षों के आधार पर, निबंधन महानिरीक्षक न्यायनिर्णय कर उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

19. जहाँ सोसाइटी अथवा उसके किसी सदस्य के विरूद्ध भूल–चूक से सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त हो, तो निबंधन महानिरीक्षक स्वयं अथवा ऐसे पदाधिकारी जिसे वह उचित समझे के माध्यम से जाँच कर सकेगा और प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाएगा। ऐसे प्रतिवेदन को निबंधन महानिरीक्षक के समक्ष दाखिल किए जाने पर, वह सभी सम्बद्ध पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

भाग VIII –विविध

20. **संगम ज्ञापन और उप विधि में संशोधन :–**

(i) अपने संगम ज्ञापन अथवा उपविधि/विनियम में, जिसमें शासी निकाय और/अथवा कार्यकारी निकाय के सदस्यों में परिवर्त्तन शामिल है, संशोधन करने का इच्छुक कोई सोसाइटी उसे उक्त संशोधनों को रजिस्ट्रीकृत करने के अनुरोध के साथ निबंधन महानिरीक्षक को समर्पित करेगी तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध करेगी।

(ii) अनुरोध प्राप्त होने पर, निबंधन महानिरीक्षक सुनवाई करेगा तथा सोसाइटी के व्यय पर, समाचार पत्रों में आम सूचना देकर आम लोगों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा।

(iii) समाचार पत्रों में नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो निबंधन महानिरीक्षक, सोसाइटी के व्यय पर अनुरोध के अनुसार, परिवर्त्तन/संशोधन रजिस्ट्रीकृत करने हेतु अग्रसर होगा।

(iv) यदि कोई आपत्ति प्राप्त हो अथवा निबंधन महानिरीक्षक को विश्वास करने का कारण हो कि मामले की और आगे जाँच करना आवश्यक है तो वह सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट से प्रतिवेदन की मांग कर सकेगा और/अथवा मामले की सुनवाई करेगा तथा ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

21. निबंधन महानिरीक्षक ऐसे चार्टरित लेखाकार से किसी सोसाइटी की लेखापरीक्षा करवा सकेगा जिसे वह विनिश्चित करे। ऐसी लेखापरीक्षा की लागत सम्बद्ध सोसाइटी अथवा बाईस्कोर अथवा डाईस्कोर, जिसे निबंधन महानिरीक्षक आदेश पारित करते समय निदेश दे, द्वारा वहन किया जाएगा।

22. **पुर्नविलोकन और अपीलः –**

(i) निबंधन महानिरीक्षक इस नियमावली के अधीन पारित अपने किसी आदेश का पुर्नविलोकन करने में सक्षम होगा बशर्ते कि नये तथ्य और सूचना उनके नोटिस में आ जाये।

(ii) इस नियमावली के अधीन निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित सभी आदेश सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष अपीलनीय होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

23. **निरसन एवं व्यावृतियाँ :–**

(i) बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1965 एवं 2015 एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावलियों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया अथवा की गई है, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था अथवा वैसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

1 जून 2018

सं0 BS-3-100104/2013–874 दिनांक 1 जून 2018 अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 1st June 2018

No. BS[3]-100104/2013-874—In exercise of the powers conferred upon by section 24 of the Societies Registration Act, 1860 (Act 21 of 1860), the Government of Bihar, hereby makes the following rules, namely: —

Bihar Societies Registration Rules, 2018

Part I – General

1. Short title (extent and commencement):—

(i) These Rules may be called for Bihar Societies Registration Rules, 2018.

(ii) It shall extend to whole state of Bihar.

(iii) It shall come in to force at once.

2. Definition : - In these Rules unless the context otherwise requires.—

(i) "Act" means Societies Registration Act, 1860;

(ii) "Section" means Section of the Act;

(iii) "IG Registration" means Inspector General of Registration as appointed under Indian Registration Act, 1908;

(iv) "Form" means – Forms appended to this Rules;

(v) BISCORE means Bihar Society for Computerization of Registration Offices;

(vi) DISCORE means District Society for Computerization of Registration Offices;

(vii) "Online Proforma" means "Online Proforma" as indicated at Form A.

Part II – Application for Registration

3. ***Application for registration of the Society—***

(i) An Application for registration of a Society under Section 3 shall necessarily be filed Online in the software system so maintained by the IG of Registration. The IG Registration shall be competent to decide the proforma for Online Application.

(ii) No application sent by post or handed over personally or through e-mail shall be entertained.

(iii) It shall be compulsory to fill all the entries as given in the online proforma for all applications to be filed online.

4. Any application to be filed Online must include a copy of the Memorandum of Association referred to in section 2 of the act, copy of Rules and Regulations of the Society, copy of the proceeding of the General Body Meeting passing the resolution for registration of the society and such other documents as may be stipulated by the IG, Registration in the Online Proforma.

5. The memorandum of association of the society shall contains the following—

(a) The name of the society;

(b) Place of its principal office;

(c) Area of operation of the society;

(d) Objects for which the society is estabilished;

(e) Names, addresses occupations and self attested photo of such members in which atleast one female member included in governing, council and / or executive committee to whom by the Rules of the society, management and controlling works are entrusted; and;

(f) Names, addresses, self attested photo and full signature of seven or more persons in which atleast one female member must be included subscribing their names to memorandum of association and signature of the subscribers shall be duly witnessed and attested by any gazette officer of the State Government.

6. For the purpose of the online registration of the society, the following fees shall be applicable:—

(a)	For Society operating in Bihar & outside	- Rs.	25,000/-
(b)	For Society operating within Bihar	- Rs.	15,000/-
(c)	For any amendment in the Memorandum of Association or Rules & Regulation	- Rs.	15,000/-
(d)	For any certified copy of any documents	- Rs.	500/-per Document

Provided that the State Government may, by notification published in the official gazette, may alter or exempt the above mentioned fees.

7. The online application shall be deemed to have been filed on the date on which the payment is made by the applicant subject to the generation of the confirmation receipt of the payment by the online software.

Part III - Verification of Documents & Registration

8. On receipt of confirmation of the application having been successfully filled to the IG, Registration, the IG, Registration shall examine or caused to be examined such documents submitted in online proforma, and if they are found to be defective or incomplete in any of the particulars required to be given therein or in any way not in accordance with the provisions of the Act or the Rules, the same shall be returned to the applicant for removal of defects and until the defects are removed the documents shall not be registered.

9. The IG, Registration, if satisfied shall certify under his hand that the Society is duly registered under the Act. Such certificate shall be issued in Form-B.

Part IV – Responsibility of the Society

10. *(i)* The Society so registered shall at the end of each financial year, submit the Annual Report under the Online mechanism so developed by the IG, Registration. The Annual Report shall consist of details of the activities of the Society. It shall also include an Audit Report duly certified by a Chartered Accountant.

(ii) The society shall also send an intimation to the IG Registration regarding receipt and utilization of foreign contribution, if any, for each financial year.

11. Every Society shall also furnish, at the end of each financial year details of the employees working in the Society as per Form-C.

12. The Annual Report and the Form-C for the financial year ending on 31st March must be uploaded by the Society in the Online System before 31st May of that year.

13. If the Society fails to upload the details to the satisfaction of the IG, the IG shall be competent to levy a fine for non-submission or incomplete submission, which shall not be less than Rs.5,000/- and which may extend upto Rs. 10,000/-.

Part V – Cancellation of Registration of any society

14. The IG Registration may cancel registration of any Society at any time for the following reasons: —

(a) Non-submission of Annual Report;

(b) Non payment of penalty as proposed under Rule 15;

(c) For any misconduct on the part of the Society, for which an enquiry has been conducted or caused to be conducted by the IG, Registration;

(d) Proven record for inactivity or non-existence;

(e) For any other reason to the satisfaction of the IG, Registration.

15. The Inspector General of Registration may, in his discretion, institute such inquiries or investigations in respect of any matter as may, in his opinion, be necessary for the proper working of the society including when there is a suspicion that the society is engaging itself in activities which are subversive to the objects of the society or the office of any registered society has ceased to be in the State of Bihar. Any original documents or other papers called for from the registered society

shall be produced before the Inspector-General of Registration or any officer authorised by the Inspector General of Registration to enable him to examine the affairs of the society or to enquire into any complaint received against any society. Provided that before cancellation of the registration, the IG shall give adequate opportunity to the Society to be heard on the matter.

16. In case the Inspector-General of Registration is satisfied that there is a prima facie case against a society for its cancellation, he shall issue a show-cause notice asking the society to show-cause within thirty days from the date of issue of the notice why the registration of the society should not be cancelled. After consideration of the show-cause and on being satisfied that the charge is proved the Inspector General of Registration shall, by order in writing, cancel the registration of the society under Section 23.

Part VI – Certified Copies of Documents

17. *(i)* Any person can obtain a certified copy of any document relating to any registered Society upon payment of fee as mentioned in the Rule 6.

(ii) If a person is unable to obtain a certified copy, he can download the web copy of the concerned document from the Department's authorized website and present the same by attaching a Non-Judicial Stamp of Rs. 500/- per document.

Part VII – Disputes relating to Societies

18. If a dispute arises out of the existence of two rival Governing and / or executive bodies for being a rightful Managing body of the Society, then, the IG may :—

(i) Ask the District Magistrate to enquire himself or through one of his subordinate officers and submit a report, and / or

(ii) Invite all the rival bodies and hear the matter in person, and / or

(iii) Cause re-election of the Governing and / or Executive Body to be done in the presence of an Observer appointed by the IG, Registration.

Based on the findings from aforementioned steps, the IG shall pass suitable Order adjudicating the matter.

19. Where a complaint regarding acts of commission and omission against the Society or any of its Member is received, the IG, Registration may enquire the matter himself or through such authority as he may deem fit and cause report to be submitted. Consequent upon such a report is being filed before IG, Registration, he may pass a suitable order after giving due opportunity of hearing to all the parties concerned.

Part VIII – Miscellaneous

20. Amendment in Memorandum of Association and bye-laws: —

(i) Any Society desirous of making amendments or changes in its Memorandum of Association or bye-laws / Regulations including the change in the members of the Governing Body and / or Executive Body submit it to the IG, Registration with the request to register the said amendments and issue a certificate to this effect.

(ii) The IG Registration shall, upon receiving the request, conduct hearing and invite objections from public at large by issuing general notice in newspapers at the expense of the society.

(iii) After 30 days of publication of the notice in the newspapers, if no objection is received, the IG shall proceed to register the changes / amendments as requested at the expense of the Society.

(iv) In case any objections are received or if the IG has reasons to believe that the matter needs further enquiry, he may seek a report from the concerned District Magistrate and/or proceed to hear the matter and pass such orders as he may deem fit.

21. Audit:—The IG, Registration may cause an Audit be done of any Society through such Chartered Accountants or the Government Auditors as he may decide. The cost of such audit shall be borne by the Society concerned or the BISCORE or DISCORE as the IG, while passing an order, may direct.

22. Review and Appeal:—

(i) The IG Registration shall be competent to review any of his orders passed under these Rules provided new facts and information is brought to his notice.

(ii) All orders passed by the IG Registration under these rules shall be appealable before the Member, Board of Revenue, whose decision shall be final.

24. Repeal and Savings: —

(i) The Bihar Society Registration Rules, 1965 & 2015, are hereby repealed;

(ii) Not withstanding such repeal, any thing done or any action taken under the said Rules shall be deemed to have been done or taken under these rules as if it in forced on such day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 519-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in